



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2155]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939

No. 2155]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/SRAVANA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

(आय-कर)

का.आ. 2455(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9क की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त उप-धारा के खंड (ड.), (च) और (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के अधीन वर्ग-1 या वर्ग-2 विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता द्वारा स्थापित निवेश निधि पर लागू नहीं होगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 77/2017/फा. सं. 142/15/2015-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)